22

C-FR315L

# माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /09 रिव्यू — 1009-III/09

एन.टी.पी.सी. / व्ही.एस.टी.पी.पी. विन्ध्यनगर
द्वारा कार्यकारी निदेशक एन.टी.पी.सी. /
व्ही.एस.टी.पी. विन्ध्यनगर सिंगरौली (म.प्र.)

....... आवेदक

प्रदीप श्रीवास्तव, एडवोकेट 30/7/09

30/7/09

विरूद्ध

1. मुस. जमुनी पति सरजू लोहार
2. अंजनी प्रसाद पिता सरजू लोहार
3. घूरन पिता खिरोधन लोहार
4. छोटे पिता खिरोधन लोहार

सभी नि.गण ग्राम मालगो थाना झाडा. तह.
सिंगरौली जिला सिंगरौली (म.प्र.)

5 शिवकुमार पिता स्व. रामऔतार
6. छोटे पिता स्व. राम औतार
7. राममिलन पिता स्व0. रामऔतार

कमांक 5, 6, 7, 8 निवासी ग्राम बिहारपुर
जिला सरगुजा (छ. ग.)

8. हीरालाल तनय स्वं. रामऔतार सा.
झरी, जिला सरगुजा (छ. ग.)

9 कंचनिया तनय स्वं. रामऔंतार सा.
झरी जिला सरगुजा (छ. ग.)

Bhiwalkar 30-7-09

10 खियालाल तनय स्वं. रामऔतार सा.
भवरखोह, जिला सीधी (म.प्र.)

11. फूलमती पत्नी सीताराम
पुत्री रामऔतार सा. बिहरा थाना बैंढ़न तह.
सिंगरौली जिला सिंगरौली (म.प्र.)

12. भानुमती पत्नी सुखनंदन पुत्री रामऔतार
पिता बुधई लोहार सा. गुलरिहा जिला
सरगुजा (छ.ग.)

13. तिलकधारी पिता बुधई लोहार सा. धनहरा
थाना झाड़ा तह. सिंगरौली जिला
सिंगरौली (म.प्र.)

14. लाल जी पिता बुधई लोहार सा. बड़गड़
(बडेरा टोला) थाना झाडा तह. सिंगरौली
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

15. रामप्रसाद पिता बुधई लोहार सा. झरी
थाना बिहारपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
सभी मूल निवासी ग्राम साहपुरा तहसील
सिंगरौली जिला सीधी (म.प्र.)

16 म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

**रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध पारित आदेश माननीय श्री व्ही.के. बाथम सदस्य राजस्व मण्डल द्वारा अपने यहां के न्यायालयीन प्रकरण 1581 iv /2008 निगरानी एन.टी.पी.सी. विरूद्ध मुस. जमुनी आदि में पारित आदेश दिनांक 16.12.2008**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1009–तीन/09 जिला –सिंगरौली

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21 –12–17 | आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया।<br>2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1581–चार/08 में पारित आदेश दिनांक 16.12.08 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु रिव्यु 1009–तीन/09के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने।<br>3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1581–चार/08 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 16.12.08 से किया जा चुका है।<br>4– रिव्यु 1009–तीन/09 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–<br>अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो | |

उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य प्र्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य